# झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

# प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023

प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को झारखण्ड राज्य में निरस्त करने के लिए एक विधेयक।

यह भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्श में झारखण्ड राज्य के विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(1) यह अधिनियम प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. निरसन और व्यायवृत्तियॉः– प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

परन्तु इस तरह के निरसन के बावजूद एतद् द्वारा निरसित अधिनियम के तहत् किया गया कोई भी कार्य या की गई कार्रवाई या की गई कथित कार्रवाई, जहॉ तक इस अधिनियम के प्रावधानों के समय असंगत नहीं है, को इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत् किया गया या लिया गया माना जाएगा।

## उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच तथा गुणवत्ता बढ़ाने तथा कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संकल्प संख्या–1312 दिनांक–01.09.2014 द्वारा निर्गत मॉडल दिशा–निर्देश के तहत् निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। इसी उद्देश्य के तहत् प्रज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 द्वारा राँची में प्रज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी। स्थापना के 07 वर्ष के उपरांत भी प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए विश्वविद्यालय को धरातल पर नहीं लाया गया है।

ऐसे निजी विश्वविद्यालय, जो अधिनियमित हो चुके हैं परन्तु निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे हैं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य की कड़ी के प्रथम क्रम में यह आवश्यक है कि प्रज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 वापस लिया जाय।

अतः यह विधेयक,

(हेमन्त सोरेन)
भार साधक सदस्य।